रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2010/पौष 22, 1931
No. 19] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2010/PAUSA 22, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2010

सं. एल-7/25(5)/2003.-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की यह राय होने पर कि विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए व्यापार मार्जिन नियत करना आवश्यक है, और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2010 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान पर लागू होंगे ।

2. लागू होना.—ये विनियम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आरंभ किए गए विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अल्प-कालिक क्रय-अल्प-कालिक विक्रय संविदाओं को लागू होंगे :

परंतु यह कि ये विनियम आयोग द्वारा प्रदत्त अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर विद्युत अधिनियम, 2005 के नियम 9 के उपबंधों के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आरंभ किए गए विद्युत में अंतरा-राज्यिक व्यापार को लागू नहीं होंगे ।

3. परिभाषाएं तथा निर्वचन : (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे आयोग द्वारा विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है;

(घ) "अल्प-कालिक क्रय-अल्प-कालिक विक्रय संविदा" से ऐसी संविदा अभिप्रेत है जहां ऊर्जा क्रय करार और ऊर्जा विक्रय करार एक वर्ष से कम की अवधि के लिए किया जाता है;